न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 26 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1जगदीश पुत्र बस्तीराम जाति माली निवासी ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1हरजीराम पुत्र भंवरूराम जाति बंजारा निवासी ताउसर। 2सरपंच, ग्राम पंचायत ताउसर। 3ग्राम पंचायत ताउसर जरिये ग्राम सेवक।

उपस्थिति–

श्री नरेन्द्र सारस्वत, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

श्री भंवरलाल सारस्वत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 26.02.2021

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा मिसल सं. 299/17–18 जिसके द्वारा पटटा सं. 34 दिनांक 01.12.2017 अप्रार्थी सं. 1 हरजीराम के हक मे जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 34 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत रिट की फोटोप्रति, उच्च न्यायालय के आदेश की फोटोप्रति, तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा हरजीराम के परिचय पत्र की फोटाप्रति, कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के पत्र दिनांक 14.10.09 की फोटोप्रति, अधिसूचना दिनांक 8.12.09 की फोटोप्रति, जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 24.2.10 की फोटोप्रति, रामनाडिया गांव के परिवारो की सूची की फोटोप्रति, फर्द मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, नक्शा की फाटोप्रति तथा खतौनी ग्राम ताउसर के संवत 2062–65 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस शुरू करते बताया कि–

2(1)–अप्रार्थी सं. 1 को जारी पटटा प्रारंभ से ही अवैध, शून्य तथा विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)–ग्राम ताउसर के खसरा सं. 279, 334, 354, 306, 307 की भूमि गोचर भूमि है तथा गोचर भूमि की किस्म को परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार या अन्य किसी भी संस्था, अधिकारी को नही है। गोचर भूमि को गोचर से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ न तो काम मे ली जा सकती है और न ही गोचर से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी को दी जा सकती है।

2(3)–गोचर भूमि खसरा सं. 279 मे से कभी आबादी विस्तार हेतु भूमि का आवंटन व अन्तरण ग्राम पंचायत ताउसर को नही किया गया था। आंवटन व अन्तरण का दस्तावेज फर्जी, कूटरचित है अन्यथा भी विकल्प मे गोचर भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित नही की जा सकती थी। ग्राम ताउसर मे गै.मु. मगरा तथा बंजर सरकारी भूमि बडी मात्रा मे उपलब्ध रहते गोचर भूमि मे से आबादी हेतु भूमि का अन्तरण ग्राम पंचायत को नही हो सकता था। इस प्रकार खसरा सं. 279 मे से आबादी भूमि का अन्तरण प्रारंभ से ही अवैध, शून्य तथा विधि विरूद्व है। प्रार्थी द्वारा रिट पेश करने के दिन तक तो खसरा सं. 279/1967 का राजस्व नक्शे मे तरमीम ही नही हो रखा था। राजस्व कर्मचारियो द्वारा सब कार्यवाही बाद मे अतिक्रमियो से मिलावट कर फर्जी रूप से कूटरचना कर तैयार की गई। खसरा सं. 279/1967 की भूमि कभी भी आबादी काम मे नही आयी है अपितु गोचर के काम मे आती रही है। इस प्रकार 279/1967 की भूमि मे से अप्रार्थी सं. 1 को पटटा जारी नही किया जा सकता था।

2(4)–अप्रार्थी सं. 1 का अतिक्रमण खसरा सं. 279 की भूमि पर नही होकर खसरा सं. 334 की भूमि पर है। मगर फिर भी इस अतिक्रमण को बचाने के लिये अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने 279/1967 की आड मे पटटा जारी किया है। जो सर्वथा गलत है।

2(5)– अप्रार्थी सं. 1 का अतिक्रमण बिल्कुल नया अतिक्रमण है। अप्रार्थी सं. 1 सहित सभी अतिक्रमियो के कब्जे सन् 2015 से लेकर 2017 के बीच की अवधि मे किये हुए है। 2015 से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा नही था। पटवारी रिपोर्ट से भी अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा बिल्कुल नया था। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी सं. 1 को पटटा जारी नही किया जा सकता था।

2(6)– खसरा सं. 279/1967 की भूमि राज्य सरकार द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित व अंतरित की गई थी। उस समय इस भूमि पर किसी के कब्जे नही होने से इसका अंतरण ग्राम पंचायत को किया गया था व ग्राम पंचायत को अन्तरण के बाद भी यह भूमि गोचर काम मे आती रही थी। गोचर भूमि के पटटे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(7)– खसरा सं. 279 / 1967 की भूमि राज्य सरकार द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को अंतरित की गयी थी। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम 157 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 को पटटा नही दिया जा सकता था। ग्राम पचांयत ऐसी भूमि को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 142 की पालना करने के पश्चात नीलामी कार्यवाही द्वारा राज्य सरकार की अनुमति पश्चात ही आबादी विस्तार हेतु किसी को भूमि देने के लिये सक्षम है। नियम 142 के अनुसार ग्राम पंचायत ने न तो ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग मे पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा और न ही ग्राम योजनकार से परियोजनाये, स्कीम तैयार करायी। इस प्रकार नियम 142 के किसी प्रावधान की पालना नही होने से पटटा खारिज योग्य है।

2(8)– 279 / 1967 की भूमि केवलमात्र बाजारू कीमत या उससे अधिक राशि पर ही नीलामी प्रक्रिया से किसी को ग्राम पंचायत द्वारा दी जा सकती थी। ग्राम पंचायत ने न तो नीलामी समिति से भूमि की बाजारू कीमत तय करायी और न ही नीलामी कार्यवाही की। नियम 151, 152 की कोई पालना पटटा जारी करने मे नही अपनायी गयी। इसलिये भी पटटा खारिज योग्य है।

2(9)– पटटा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की आपति जारी नही की गयी। आपति नोटिस फर्जी तैयार किये हुए है और इन नोटिसो को कभी भी चस्पा नही किया गया। नोटिस चस्पानगी की सारी कार्यवाही फर्जी है और पंचायत भवन मे बैठकर तैयार की गयी है। नोटिस पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के हस्ताक्षर नही होकर अप्रार्थी सं. 1 के ही रिश्तेदारो व गोचर भूमि के अतिचारियो के तथा जिनको पटटे जारी किये गये है। उन्ही के हस्ताक्षर है जो स्पष्ट रूप आपति प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाती है तथा वास्तव मे कभी आपति जारी नही की गयी। अप्रार्थी सं. 1 व अन्य सभी अतिक्रमियो को बेदखल करने के माननीय राज. उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सहित प्रार्थी व ग्रामवासियो ने अभ्यावेदन ग्राम ताउसर के सरपंच व ग्रामसेवक को दे रखे थे। इस प्रकार ग्राम पंचायत तथा सभी अप्रार्थीगण को माननीय राज. उच्च न्यायालय मे चल रही कार्यवाही व विचाराधीन रिट याचिका तथा उसमे पारित आदेश की जानकारी थी। उसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करना न केवल अवमानना की श्रेणी मे आने वाला अशोभनीय कृत्य है। अपितु निंदनीय व खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण ने आपस मे षडयंत्र रचकर माननीय राज. उच्च न्यायालय के बेदखली आदेश को पराभूत करने की बदनियति से बिना क्षेत्राधिकार के पटटा जारी किया और पटटा प्राप्त किया। ग्राम पंचायत ने धारा 146 के नियम की पूर्णतया पालना भी नही की इसलिये भी पुनरीक्षणाधीन पटटा खारिज किये जाने योग्य है।

2(10)– 2015 से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 व अन्य अतिक्रमियो का कोई कब्जा विवादित भूमि पर नही था। जो इस बात से भी साबित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे अतिक्रमण का कोई उल्लेख अपने दस्तावेजो मे नही है। पंचायती राज नियमो के अनुसार ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि पंचायत की आबादी भूमि, तालाब तल और चारागाह की भूमियो पर अतिचारियो का सर्वेक्षण कर इसका इन्द्राज करे तथा अतिक्रमियो को नोटिस देकर बेदखल करे तथा तहसीलदार को अवगत कराये और उचित समझे तो पुलिस मदद लेकर बेदखली कार्यवाही करे। अप्रार्थी सं. 1 व अन्य अतिक्रमियो के विरूद्व बेदखली कार्यवाही करने के स्थान पर उनसे मिलावट धोखाधडी व षडयंत्र कर बिना अधिकार के पटटे जारी कर दिये जो पटटे खारिज किये जाने योग्य है।

2(11)– किसी भी सूरत मे अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा पचास साल का अथवा पुराना कब्जा व पुस्तैनी भूमि होना साबित नही था। नीलामी के अलावा भूमि अंतरित नही की जा सकती थी। लाखो रू. की भूमि होते हुए भी मात्र दो सौ रू. मे पटटा जारी कर ग्राम पंचायत व सरकार को लाखो रू. का अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जानबूझकर नुकसान पहुँचाया। अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन नही है। फिर भी पटटा जारी करने मे ग्राम पंचायत ने कानूनी गलती की है।

2(12)– स्वामित्व विवादग्रस्त होने की स्थिति मे ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को पटटा जारी नही किया जा सकता था। संपूर्ण विवाद उच्च न्यायालय मे विचाराधीन था। ऐसी सूरत मे किसी सूरत मे पटटा जारी नही किया जा सकता था। इस नियम की जानबूझकर ग्राम पंचायत द्वारा अनदेखी की गई।

2(13)– इस भूमि के संबंध मे माननीय राज. उच्च न्यायालय मे मामला लंबित रहने तथा माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा बेदखली के आदेश के कायम रहते ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन 5.9.17 मे 22 अतिक्रमियो के पटटा प्राप्ति हेतु आवेदन लेना तथा एक ही दिन यानि 6.11.17 को सभी 22 पटटे जारी करने का प्रस्ताव लेना तथा सभी 22 पटटे एक ही दिन 1.12.17 मे जारी करना स्पष्ट रूप से धोखाधडी को जाहिर करता है। इसलिये भी पुनरीक्षणाधीन पटटा खारिज किये जाने योग्य है।

2(14)– प्रथमतः गोचर भूमि मूल खसरा सं. 279 मे से आबादी हेतु भूमि अंतरित नही की जा सकती थी और न ही ग्राम पंचायत इस भूमि के पटटे जारी कर सकती थी। गोचर भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम से सुरक्षित व प्रतिबंधित भूमि है और राज्य सरकार, जिलाधीश या अन्य कोई अधिकारी और संस्था गोचर भूमि की किस्म को परिवर्तित करने के लिये प्राधिकृत नही है। इसलिये खसरा सं. 279 मे से आबादी विस्तार हेतु 279 / 1967 की भूमि ग्राम पंचायत को अंतरित नही की जा सकती थी और न गोचर से भिन्न प्रयोजनार्थ ये भूमि काम मे ली जा सकती है। इसलिये 279 / 1967 का अंतरण प्रारंभ से अवैध व शून्य होने से इस भूमि पर आबादी हैसियत से ग्राम पंचायत को विधि अनुसार कोई अधिकार कभी नही मिले और न ग्राम पंचायत इसमे पटटे जारी कर सकती है। अन्यथा भी

अपर कलक्टर, नागौर

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से नियम 165 की पालना नही करने के कारण से भी पुनरीक्षणाधीन पटटा खारिज किये जाने योग्य है।

2(15)– वकील प्रार्थी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 141, 142, 142, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 154 यानि नियम 141 से 154 के नियमो और उसमे उल्लेखित प्रावधानो की पालना नही की जबकि नियम 141 से नियम 168 के प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है तथा बताया गया कि –

1– नियम 145 – पंचायत से कोई भी भूमि खरीदने का इच्छुक व्यक्ति पंचायत को लिखित मे आवेदन जिसमे उसका ऐसा विवरण देते हुए जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो, अंकित करेगा, मगर किसी भी अप्रार्थी ने अपने आवेदन मे खसरा सं. 279/1969 मे मकान होना नही बताया है तथा मकान की चारो दिशाओ का पडौस खुली जमीन बताया गया है। इसलिये आवेदन भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त नही है। कब्जा कब से इसका भी उल्लेख आवेदन मे नही है।

2– नियम 146 के तहत तीन पंचो की समिति स्थल निरीक्षण कर निम्नलिखित विषयो पर अपनी राय देने के प्रावधान है।

(क) क्या आवेदित विक्रय ग्रामीणो द्वारा आने जाने के लिये सुविधाओ की प्रभावित करेगा।

(ख) अन्य व्यक्तियो के सुखाधिकार अधिकारो को प्रभावित करेगा।

(ग) परिक्षेत्र की सुंदरता व सफाई को प्रभावित करेगा।

(घ) भूमि को खरीदने के इच्छुक व्यक्तियो के नाम

मगर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मे इन बिन्दुओ बाबत किसी प्रकार की राय नही दी गई है तथा स्थल निरीक्षण मे अपीलांट के मकान बने होने का उल्लेख नही है।

3– नियम 147 – स्थल निरीक्षण पश्चात पंचायत किसी बैठक मे प्रोविजनल रूप से विनिश्चित करेगी कि विक्रय किया जाये या नही, के संबंध मे नियम 148 मे पंचायत द्वारा प्रोविजनल विनिश्चय पश्चात पंचायत नोटिस जारी कर आक्षेप / आपति आमंत्रित किये जाने के प्रावधान है। जबकि इस मामले मे ऐसा नही किया गया पंचो की स्थल यानि मौका रिपोर्ट 20.9.17 को पेश हुई उस दिन अपीलांट को भूमि का विक्रय या पटटा जारी करने का कोई प्रोविजन, आदेश या प्रस्ताव नही लिया गया और न ही आगामी बैठक 24.10.17 को लिया गया। सर्वप्रथम 6.11.17 को ऐसा प्रस्ताव प्रोविजन विनिश्चय का लिया गया। ऐसी स्थिति मे नियम 148 के अनुसार 6.11.17 को या उसके पश्चात आक्षेप आपति के नोटिस जारी होने चाहिये थे। मगर ऐसा नही कर 6.11.17 को ही पटटे जारी कर दिये। जो आज्ञापक नियमो के विपरीत है। इन मामलो मे नोटिस प्रोविजनल विनिश्चय से पहले हो। 20.9.17 को ही नोटिस जारी किये गये जो नियमो के विरूद्व था, ऐसे नोटिस विधि मान्य नही थे। इसके अलावा वास्तव मे आपति नोटिस प्रकाशित व चस्पा ही नही किये गये। जिन मौतबरो के समक्ष नोटिस चस्पा करने बताये है वे सभी मौतबर चेनाराम, जीताराम, पोकरराम, गेनाराम, गुलाबराम, सज्जनलाल, भागीरथ, बहादुरराम, अवतार, ठाकरराम, आसूराम है जिन्हाने सब ने पटटे प्राप्त किये है और इन्होने ही एक दूसरे के नोटिसो पर हस्ताक्षर कर मौतबर बने है जो मिलीभगत साबित करती है। कोई भी स्वतंत्र मौतबर नही है। इन सभी मौतबरो के पटटो को खारिज कराने की रिवीजन पेश की हुई है।

4– नियम 141 के अनुसार भूमि के सभी विक्रय साधारणतया नीलाम के द्वारा किये जाने के प्रावधान होते हुए भी इस मामले मे नीलामी कार्यवाही नही की गई है।

5– नियम 142 (1) के अनुसार जब कभी आबादी के विकास के लिये भूमि किसी पंचायत को अन्तरित की जाये तो वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मे पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे के पद का न हो ग्रामीण विकास के लिये विकास योजना तैयार करायेगी और वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा 142 (4) अनुसार अनुमोदित विकास परियोजनाओ / स्कीमो मे भूखण्डो को राज्य सरकार के निर्देशो के अनुसार नीलाम और आवंटन द्वारा किया जायेगा। इस संबंध मे नियम 142(1) की कोई पालना ग्राम पंचायत द्वारा नही की गई। कोई विकास योजना तैयार नही करायी गयी तथा 142 (4) के अनुसार नीलाम और आवंटन दो प्रक्रिया से ही भूमि दी जा सकती है। किसी अन्य तरीके से नही। जिससे नियम 142 (4) के प्रावधानो की बिल्कुल पालना नही की गई।

6– नियम 157 के अनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी के पुराना कब्जा होने का कोई सबूत नही था। नियम 157 की यह पहली शर्त है जो साबित नही हो पायी थी। इसलिये नियम 157 मे पटटा नही दिया जा सकता था। नियम 157 मे नही दी जा सकती थी। 142 (1) व 142 (4) की कोई पालना नही की गई।

इस प्रकार किसी नियम की पालना नही की गई और नियमो की अवहेलना की गई तथा अपने कथन के समर्थन मे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 पृष्ठ सं. 39 से 45, 2019(2) डीएनजे (राज.) पृष्ठ सं. 570 से 574, 2015(2) डीएनजे (राज) पृष्ठ सं. 595 से 599, 2015(1) डीएनजे (राज) पृष्ठ सं. 443 से 448, आरएलडब्लू 1996 (3) राज. पृष्ठ सं. 138 से 141, आरएलडब्लू 1999 (2) राज. पृष्ठ सं. 1032 से 1034 तथा 2019 डीएनजे (एससी)

अपर कलक्टर, नागौर

पृष्ठ सं. 14 से 17 नजीरे पेश की।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि –

3(1)– अप्रार्थी ग्राम रामनाडिया का निवासी है। यह ग्राम पहले ताउसर का भाग था। जो वर्ष 2010 मे नवसृजित ग्राम रामनाडिया के नाम से बना। वर्तमान ग्राम रामनाडिया के खसरा नं. 279 मे से समय समय पर आबादी हेतु भूमि सरकार द्वारा आरक्षित की गई है। प्रार्थी ग्राम ताउसर का निवासी है। जिसका इस भूमि मे कोई हित नही होने से प्रार्थी जगदीश को यह निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। माननीय उच्च न्यायालय मे जो रिट जगदीश द्वारा प्रस्तुत की गई। उसमे खसरा नं. 279/1967 का हवाला नही है। अप्रार्थी आजादी के समय से ही रहता आया है तथा अप्रार्थी का कब्जा / मकान वर्ष 2015 से नही होकर पूर्वजो के समय से रहता आया है।

3(2)– ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के सभी विधिक प्रावधानो की पालना करते हुए पटटा जारी किया गया है। उक्त पटटा पंजीबद्व हो चुका है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र / पटटा को निरस्त करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नही है तथा रजिस्टर्ड पटटा दस्तावेज निरस्तीकरण की कार्यवाही सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2015(2) पृष्ठ सं. 967 से 968 नजीर पेश की।

3(3)– पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी मे किसी पंचायत राज संस्था द्वारा पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता अथवा ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे मे ही जांच की जा सकती है।

3(4)– प्रश्नगत भूमि गोचर से आबादी मे सपरिवर्तित हुई है तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे आबादी के रूप मे दर्ज है। जिससे जब तक उक्त भूमि को आबादी मे परिवर्तन किये जाने का शासकीय आदेश प्रभावी है तो यह भूमि आबादी की भूमि ही मानी जायेगी। अप्रार्थी राजकीय गोचर भूमि पर काबिज हो तथा इसी आराजी भूमि को लेकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गई हो, ऐसा कोई अभिलेख अथवा तथ्य नही है।

3(5)– ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत आपति विज्ञप्ति नोटिस जारी किये गये है तथा जिस क्षेत्र से संबंधित पटटा जारी किया गया है। वहां बणजारा जाति के लोग ही एक जगह पर निवासरत है तथा एक ही जाति के लोग होने से आपति विज्ञप्ति की चस्पानगी पर इन्ही के हस्ताक्षर / गवाही ही होगी। सार्वजनिक आपति विज्ञप्ति नोटिस पर कोई आपति नही आयी है। जिस पर विधि अनुसार पटटा जैर निगरानी जारी किया गया है।

इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा आबादी मे स्थित भूमि का निहित प्रक्रिया अपनाते हुए पटटा विधि अनुसार जारी किया गया है। जो यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

4– वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए बताया कि उनके द्वारा आराजी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को लेकर शुरू से ही विरोध करता आया है। समय समय पर अतिक्रमण को लेकर शिकायते भी प्रस्तुत की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई। आराजी भूमि गै.मु. गोचर सार्वजनिक उपयोगी भूमि है। जिसमे सभी व्यक्तियो का हित निहित होता है। जिससे प्रार्थी इसमे हितबद्व व्यक्ति होने से लोकस स्टेण्डाई बनती है। यहां तक कि पंचायज राज संस्थाओ द्वारा लिये गये किसी विनिश्चय की समीक्षा करने हेतु माननीय न्यायालय को स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही करने के अधिकार है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि खसरा नं. 279/67 मूल रूप से खसरा नं. 279 गै.मु. गोचर का ही भाग है। जिसमे से माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका विचाराधीन रहने के दौरान पटटा जैर निगरानी जारी किया गया है। जो निरस्तनीय है।

5– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, जिसके अनुसार –

5(1)– प्रार्थी द्वारा पत्रावली सं. 299/2017–2018 जिसमे अप्रार्थी हरजीराम को पटटा सं. 34 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5(2)– अप्रार्थी का उजर रहा है कि प्रश्नगत भूमि का राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत पटटा जारी होकर पंजीबद्व हो चुका है। ऐसी स्थिति मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। इस संबंध मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधान यथा "राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के संबंध मे, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमे पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे मे या ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे मे स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी मामले मे, राज्य सरकार मे, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।" अधिकारिता को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.96 के द्वारा जिला कलक्टर को धारा 97 की शक्तियां प्रदत की गयी थी। तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 139 (5) पं. रावि / शिक्षा / 2000 /294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा दिनांक 01.02.02 के पश्चात धारा 97 के तहत सुनवाई के अधिकार वापस लिये गये। तत्पश्चात राज्य सरकार की

अपर कलक्टर, नागौर

अधिसूचना सं. एफ4 (10) परावि / विधि / संशोधन / 2004 / 3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार, अधिसूचना दिनांक 03.12.96 (पंचो को हटाने के अधिकार के अलावा) को दिनांक 01.02.2002 से ही पुर्नस्थापित कर जिला कलक्टर को शक्तियां प्रदान की हुई है। ऐसी स्थिति मे पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी सुनने के क्षेत्राधिकार इस न्यायालय मे निहित है। इस स्थिति मे भी निगरानी सुनवाई क्षेत्राधिकार मे कोई बाध्यता प्रतीत नही होती है।

5(3)– अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली सं. 299/2017–18 श्री हरजीराम पुत्र भंवरूराम का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उसके ग्राम ताउसर की आबादी भूमि मे कब्जासुदा व पैतृक मकान बास रामनाडिया मे स्थित भूमि का पटटा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया, ऐसी कोई तारीख आवेदन पत्र पर अंकित नही है। तीन वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 20.09.17 के द्वारा कब्जासुद भूमि का पटटा बनाने बाबत एक माह का मियाद का आपत्ति नोटिस जारी करने का विनिश्चय किया गया है। जिस पर जारी नोटिस की पुस्त पर गुलाबराम व सज्जनलाल के हस्ताक्षर है। आया उक्त नोटिस किस स्थान, किस तारीख को चस्पानगी की गई, ऐसा कोई अंकन नही है। कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत ताउसर दिनांक 24.10.17 के प्रस्ताव सं. 2 के अनुसार आपति नोटिस पर कोई आपति नही होना मानते हुए संबंधित प्रार्थी के दो गवाहो के बयान लिये गये है तथा पटटे का फैसला आगामी पंचायत की बैठक मे लिये जाने का विनिश्चय किया गया। भूमि के पटटे हेतु आवेदन करते समय आवेदन के साथ भूमि का नक्शा प्रस्तुत करना होता है। यदि नक्शा प्रस्तुत नही किया जाता है तो नक्शा तैयार करने हेतु 25 रू. फीस आवेदन करते समय जमा करवानी होती है। मगर आवदेन करने की तिथि अथवा दिनांक 05.09.2017 को उक्त राशि जमा हुई हो, ऐसा रिकार्ड से साबित नही है।

5(4)– ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली के अवलोकन से आज्ञाओ की सूची प्रपत्र मे दिनांक 05.09.2017, 20.09.2017, 24.10.2017 व 06.11.2017 की आदेशिकाये एक साथ छपे छपाये कम्प्यूटराईज्ड परफोर्मा पर हस्ताक्षरित की गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। जबकि आदेशिकाये नियमित रूप से तारीख पर तारीख को ही अंकित की जानी चाहिये थी।

5(5)– प्रार्थी द्वारा आराजी भूमि ग्राम ताउसर के खसरा नं. 279 गोचर भूमि होना व इसी भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय मे लोक हित रिट याचिका सं. 10674/17 जगदीश वगैरा बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत करना बताया गया है। पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रार्थी के आवेदन, मौका नक्शा, पंचगणो की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.09.17, आम सूचना दिनांक 20.09.17, बयानात आदि मे भूमि के खसरा नं. अंकित नही है। आया प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 279 गै.मु. गोचर से आबादी हेतु आरक्षित भूमि का ही भू भाग हो। इस संबंध मे राजस्व पटवारी / तहसीलदार से पुष्टि नही करवायी गयी है। अप्रार्थी द्वारा भी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं तरमीमसुदा नक्शा से यह भूमि आबादी की हो, ऐसा साबित नही करवाया गया है। जबकि पटटा जैर निगरानी पारित करने से पूर्व विवादित भूमि आबादी क्षेत्र मे रहते हुए ग्राम पंचायत मे निहित करती हो, ऐसे तथ्य अभिलेख पर लिये जाने चाहिये।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आराजी भूमि ग्राम ताउसर के खसरा नं. 279 गै.मु. गोचर मे होना बताया गया है तथा खसरा नं. 279/1967 गै.मु. आबादी की आड मे पटटा जारी होना बताया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा ग्राम ताउसर के खसरा नं. 279 गै.मु. गोचर मे से आबादी हेतु आरक्षित की गई भूमि खसरा नं. 279/1967 गै.मु. आबादी मे से प्रश्नगत पटटा जैर निगरानी जारी करना बताया गया है। मगर इसके साक्ष्य मे दस्तावेजी आधार जमाबंदी / तरमीमसुदा नक्शा प्रस्तुत नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे आराजी भूमि गै.मु. गोचर है अथवा आबादी भूमि है, स्पष्ट नही है। भूमि की वास्तविक स्थिति राजस्व विभाग के पटवारी / तहसीलदार से सत्यापन करवाये जाने का अभाव रहा है। ऐसी स्थिति मे आया भूमि आबादी का ही भाग हो, इस संबंध मे पूर्णतः जांच नही किया जाना प्रकट होता है। जिससे आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत ताउसर को पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आया प्रश्नगत भूमि आबादी की है अथवा राजस्व की, इस संबंध मे राजस्व पटवारी / तहसीलदार से पुष्टि करवावे तत्पश्चात यदि भूमि गै.मु. गोचर राजस्व भूमि का भाग होना पाया जाता है तो प्रश्नगत पटटे से संबंधित ग्राम पंचायत का संकल्प एवं पटटा स्वतः ही शून्य माना जायेगा तथा प्रक्रिया के संबंध मे ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर देते हुए पंचायत राज अधिनियम / नियमो के तहत विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए गुणावगुण पर ताजा प्रस्ताव / विनिश्चय पारित करे।

7– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर